पानी बिल बढ़ोतरी की निंदा और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा

करनाल। करनाल कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई का दंश झेल रही है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पानी के बिलों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की जेब पर डाका डालने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सरकार का फोकस बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों पर होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर जिले पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जलभराव से लोगों को खाने-पीने के सामान से लेकर बिजली-पानी और मवेशियों के चारे तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इधर सरकार ने लोगों की जेब खाली करने की योजना बना डाली है।

त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में लाखों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। करनाल जिले के गांवों में भारी नुकसान हुआ है। जल निकासी के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए। उन्होंने कहा कि किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मकानों, दुकानदारों और कारोबारियों को हुए नुकसान का भी उचित ओकलन करके सभी को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।

मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक, राष्ट्रपति शासन लागू हो

करनाल। कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मणिपुर तीन महीने से जल रहा है और प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं। गैंगरेप और महिलाओं को नग्न कर सड़कों पर घुमाने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है। बेटियों को बचाने और पढ़ाने का दावा करने वाली सरकार अब चुप क्यों है। महिला आयोग और राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियां कहां सो रही हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। पूरा देश जानना चाहता है कि मणिपुर में क्या और क्यों हो रहा है सरकार ने क्या किया है। सरकार नाकाम साबित हुई है। सरकार को बर्खास्त कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में पहलवान बेटियों से हुए दुर्व्यवहार को अभी लोग भूले नहीं थे कि मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ गई।

पर्यावरण सहेजकर रखने के लिए टीम दीपेंद्र ने बांटे 4 हजार पौधे

करनाल । पर्यावरण को सहेजकर रखने के लिए टीम दीपेंद्र से जुड़े सदस्यों ने जिले में अलग-अलग जगहों पर न केवल पौधे रोपित किए, बल्कि स्कूलों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में करीब 4 हजार पौधे भी वितरित किए गए। करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, निसिंग, निगदू व असंध और घरौंडा समेत कई इलाकों में टीम दीपेंद्र से जुड़े सभी सदस्यों ने पौधो को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हुए समाजसेवी संस्थाओं और गणमान्य लोगो के साथ मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संकल्प दिलाया गया। प्रदेशभर में चलाए हुए इस अभियान का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद के वार्ड नंबर-5 से जिला पार्षद एवं टीम दीपेंद्र के प्रदेश संयोजक अमित बराना ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीम दीपेंद्र की तरफ से 5 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत करनाल और अंबाला जिले से की गई।

उन्होंने बताया कि राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सेवाभाव के कार्यों के लिए गठित की गई टीम दीपेंद्र से जुड़े सभी सदस्यों ने कोरोना काल में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जागरुकता फैलाने एवं जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में महारथ हासिल की थी, अब तेज बरसात और बाढ़ जैसे हालातों के बाद टीम दीपेंद्र ने पर्यावरण को फिर से हरा-भरा रखने का संकल्प लिया है। जिसमें सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश में 5 लाख पौधे रोपित करेंगे। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत में ही करनाल और अंबाला जिले में पेट्रोल पंपों, शिक्षक संस्थाओं व स्कूलों और निजी स्कूलों में अलग-अलग जगहों पर 4 हजार पौधे वितरित किए गए। इसके अलावा पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत की गई। जिला परिषद के वार्ड नंबर-5 से जिला पार्षद एवं टीम दीपेंद्र के प्रदेश संयोजक अमित बराना ने बताया कि वृक्षों के बिना जीवन संभव नहीं है। वृक्ष हमेशा देते है लेकिन लेते कुछ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पेड़ों से मनुष्य को ऑक्सीजन, छाया, फल मिलते हैं तथा पेड़ बरसात लाने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि जल, हवा, जंगल, जमीन सूर्य का प्रकाश और अन्य जीव जन्तु हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति जो हमें जीने के लिए स्वच्छ वायु, पीने को पानी खाने को कंद-मूल-फल उपलब्ध कराती रही है, लेकिन वहीं अब संकट में है। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक अमित बराना, गुरजंट सिंह, अमित गर्ग, शैंकी कुरुक्षेत्र, गुरजंट, मानसिंह, राजू, बलविंद्र वालिया व श्रंगारा सिंह समेत काफी समर्थक मौजूद रहे।

महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई

करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर ने बताया कि चंद्रशेखर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल के मार्गदर्शन में महिलाओं से संबंधित कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इंद्री ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर बीपीएस विश्वविद्यालय, सोनीपत की सहायक प्रोफेसर डॉ. संध्या रोहल और सेवा निवृत्त उप जिला न्यायवादी प्रदीप कुमार, मौजूद रहे। इस अवसर पर इंद्री ब्लॉक टीचर्स, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डॉ. संध्या, सहायक प्रोफेसर ने बताया कि शिक्षा को न केवल महिलाओं के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक मौलिक प्रकृति का माना गया है; राष्ट्र निर्माण कार्य व्यक्तियों द्वारा उनके रोजगार और व्यवसायों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

संगोष्ठी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, अधिकार जागरूकता, अपराध को रोकना, आवश्यकता और पुनर्वास में प्रतिक्रिया और पीड़ित मुआवजा के बारे में जागरूक किया गया।

डॉ. संध्या रोहल ने बताया कि घरेलू हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग भेदों तक पहुंच रहा है। यह समस्या न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैली हुई है, बल्कि इसकी घटना भी व्यापक है, जो इसे एक विशिष्ट और स्वीकृत व्यवहार बनाती है। घरेलू हिंसा व्यापक रूप से फैली हुई है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका निरंतर अस्तित्व नैतिक रूप से अक्षम्य है। व्यक्तियों, स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज के लिए इसकी लागत बहुत अधिक है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की किसी अन्य बड़ी समस्या की इतनी व्यापक रूप से उपेक्षा नहीं की गई है और इतनी कम समझी गई है।

प्रदीप कुमार ने भी बताया कि भारत में महिला वर्ग को उपलब्ध अधिकारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार वे हैं जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में प्रदान किए गए हैं। दूसरी ओर, कानूनी अधिकार वे हैं जो संसद और राज्य विधानमंडलों के विभिन्न कानूनों (अधिनियमों) में प्रदान किए जाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) भारत में महिलाओं को सभी से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है। घरेलू हिंसा के रूप। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रिश्ते में हैं और किसी भी तरह की शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा के अधीन हैं। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956) व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। दूसरे शब्दों में, यह जीवन जीने के एक संगठित साधन के रूप में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी को रोकता है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम (1986) विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखन, पेंटिंग, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है। दहेज निषेध अधिनियम (1961) महिलाओं से शादी के समय या उससे पहले या बाद में दहेज लेने या देने पर रोक लगाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) बच्चे के जन्म से पहले और बाद में निश्चित अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों का प्रावधान करता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (1971) मानवीय और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भधारण को समाप्त करने का प्रावधान करता है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम (1994) गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है और लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों दोनों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह भर्ती और सेवा शर्तों में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम (1939) एक मुस्लिम पत्नी को अपनी शादी के विघटन की मांग करने का अधिकार देता है। परिवार न्यायालय अधिनियम (1984) पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय दंड संहिता (1860) में भारतीय महिलाओं को दहेज हत्या, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (1973) में महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण करने की बाध्यता, महिला पुलिस द्वारा महिला की गिरफ्तारी आदि। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (1872) में ईसाई समुदाय के बीच विवाह और तलाक से संबंधित प्रावधान हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। हिंदू विवाह अधिनियम (1955) ने एक विवाह की शुरुआत की और कुछ विशिष्ट आधारों पर तलाक की अनुमति दी। इसने भारतीय पुरुष और महिला को विवाह और तलाक के संबंध में समान अधिकार प्रदान किए। मधुर बजाज, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन कम चेयर पर्सन उपमंडल विधिक सेवाएं प्राधिकरण इंद्री ने भी महिलाओं को संबोधित किया।

हरियाणा सरकार 9 सालों में हर मोर्चे पर विफल हुई : सुमिता सिंह

करनाल। पूर्व विधायक करनाल ने नई सब्जी मंडी में 6 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन मिलन कार्यक्रम का न्योता लोगों को दिया। सुमिता सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान 6 अगस्त को करनाल के एसबीएस स्कूल में शाम चार बजे जनता से मिलेंगे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 9 सालों में जनता की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है जनता की आवाज को उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी जिलों में जन मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं वह लोगों की समस्याओं को और शिकायतों को विधानसभा में उठाकर उनका हल करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा का युवा झेल रहा है सरकारी पक्की नौकरी को कौशल निगम के जरिए कच्चे में बदला जा रहा है। तमाम भर्तियां लंबित पड़ी हुई है जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा केंद्रीय स्तर पर करीब 11 लाख और हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए है। हरियाणा की नौकरियां हरियाणवी युवाओं को न मिलकर दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही है भर्तियां होने से पहले ही रद्द हो जा रही हैं।

भर्ती के नाम पर युवाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। हजारों रुपये का आवेदन फार्म भरवाया जाता है। परीक्षा के नाम पर राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया जाता है। उसके बाद या तो पेपर लीक के नाम पर या हाईकोर्ट में मामला लटकाकर भर्ती रद्द कर दी जाती है। ऐसे में निराश युवा अपना भविष्य तलाशने के लिए विदेशों की ओर देखने को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर सब्जी मंडी वालों ने मार्केट फीस दो प्रतिशत माफ करने की मांग रखी। सब्जी मंडी वालों ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मार्केट फीस खत्म कर दी थी लेकिन भाजपा सरकार ने यह मार्केट फीस दोबारा शुरू कर दी है। इस पर सुमिता सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर आपकी मांग का समाधान निकाला जाएगा। इस अवसर पर डिंपी, सनी सहगल, अंशुल

सचदेवा, मुकेश गिरधर, तारी जी, सोमा, कृष्ण सचदेवा ,रिंकू, मिंकु, तरण ,सेमी, राहुल डोडेजा, श्यामलाल कुकरेजा, जितेंद्र मलिक आदि मौजूद रहे।